

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 262]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 6, 1977/श्रावण 15, 1899

No. 262]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 6, 1977/SRAVANA 15, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 6th August 1977

G.S.R. 554(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1 These rules may be called the Central Excise (19th Amendment) Rules, 1977.

(1583)

2 For rule 6 of the Central Excise Rules, 1944 (hereafter referred to as the said Rules), the following rule shall be substituted, namely:—

“6. Collector or Deputy Collector to exercise the powers of any officer—

- (1) The Collector may perform all or any of the duties, or exercise all or any of the powers assigned to an officer under these rules.
- (2) Subject to the provisions of sub-rule (1), the Deputy Collector of Central Excise appointed by the Central Board of Excise and Customs, may, within his territorial jurisdiction, perform all or any of the duties, or exercise all or any of the powers, assigned under these rules to an officer subordinate to him.”

3 In sub-rule (2) of rule 9 of the said rules, after the words “upon written demand made”, the words and figures “,within the period specified in rule 10,” shall be inserted

4. For rules 10, 10A and 11 of the said rules, the following rules shall be substituted, namely.—

“10. Recovery of duties not levied or not paid, or short-levied or not paid in full or erroneously refunded

- (1) Where any duty has not been levied or paid or has been short-levied or erroneously refunded or any duty assessed has not been paid in full, the proper officer may, within six months from the relevant date, serve notice on the person chargeable with the duty which has not been levied or paid, or which has been short-levied, or to whom the refund has erroneously been made, or which has not been paid in full, requiring him to show cause why he should not pay the amount specified in the notice.

Provided that—

- (a) where any duty has not been levied or paid or has been short-levied or has not been paid in full, by reason of fraud, collusion or any wilful misstatement or suppression of facts by such person or his agent, or
- (b) where any person or his agent, contravenes any of the provisions of these rules with intent to evade payment of duty and has not paid the duty in full, or
- (c) where any duty has been erroneously refunded by reason of collusion or any wilful misstatement or suppression of facts by such person or his agent, the provisions of this sub-section shall, in any of the cases referred to above, have effect as if for the words “six months”, the words “five years” were substituted

Explanation—Where the service of the notice is stayed by an order of a court, the period of such stay shall be excluded in computing the period of six months, or five years, as the case may be.

- (2) The Assistant Collector of Central Excise shall, after considering the representation, if any, made by the person on whom notice is served under sub-rule (1), determine the amount of duty due from such person (not being in excess of the amount specified in the notice) and thereupon such person shall pay the amount so determined.

(3) For the purposes of this rule—

(1) 'refund' includes rebate referred to in rules 12 and 12A;

(ii) 'relevant date' means—

(a) in the case of excisable goods on which duty has not been levied or paid or on which duty has been short-levied or has not been paid in full, the date on which the duty was required to be paid under these rules,

(b) in the case of excisable goods on which the value or the rate of duty has been provisionally determined under these rules, the date on which the duty is adjusted after final determination of the value or the rate of duty, as the case may be,

(c) in the case of excisable goods on which duty has been erroneously refunded the date of such refund

11. *Claim for refund of duty.*—

(1) Any person claiming refund of any duty paid by him may make an application for refund of such duty to the Assistant Collector of Central Excise before the expiry of six months from the date of payment of duty

Provided that the limitation of six months shall not apply where any duty has been paid under protest.

Explanation—Where any duty is paid provisionally under these rules on the basis of the value or the rate of duty, the period of six months shall be computed from the date on which the duty is adjusted after final determination of the value or the rate of duty, as the case may be

(2) If on receipt of any such application the Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the whole or any part of the duty paid by the applicant should be refunded to him, he may make an order accordingly

(3) Where, as a result of any order passed in appeal or revision under the Act, refund of any duty becomes due to any person, the proper officer may refund the amount to such person without his having to make any claim in that behalf

(4) Save as otherwise provided by or under these rules, no claim for refund of any duty shall be entertained

Explanation.—For the purposes of this rule, "refund" includes rebate referred to in rules 12 and 12A "

5 In rule 173-J of the said rules, the words "as if for the expression 'three months', the expression 'one year' were substituted in those rules" shall be omitted.

6. In rule 173PP of the said rules in sub-rule (10) for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely —

"Provided further that the provisions of rules 10 and 11 shall apply, subject to the modification that the period of six months or five years, as the case may be shall be computed from the close of the accounting year followed by the assessee"

7 In rule 173RF of the said rules, the words and figures "as if for the expression 'three months' in rule 10 or rule 11, the expression 'one year' were substituted" shall be omitted

[No. 267/77-CE]

S. K BHARADWAJ, Under Secy.

विश्व मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1977

सा० का० नि० 554(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1. इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (उन्नीसवा संशोधन) नियम, 1977 है।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् —

“6. कलक्टर या उप-कलक्टर द्वारा किसी भी अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग—

(1) कलक्टर इन नियमों के अधीन किसी अधिकारी को समनुदिष्ट सभी या उनमें से किसी कर्तव्य का निर्वहन और सभी या उनमें से किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(2) उप-नियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड द्वारा नियुक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उप-कलक्टर, अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर, उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का इन नियमों के अधीन समनुदिष्ट सभी या उनमें से किसी कर्तव्य का निर्वहन या सभी अथवा उनमें से किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।”।

3. उक्त नियमों के नियम 9 के उप-नियम (2) में “मांग की जाने पर” शब्दों से पहले “नियम 10 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर” शब्द और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 10, 10क और 11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“10. उद्गृहीत या संदत्त न किए गए शुल्क, या न्यूनोद्गृहीत अथवा पूर्ण रूप से संदत्त न किए गए या गलती से वापस किए गए शुल्क की वसूली।

(1) जहां कोई शुल्क उद्गृहीत या संदत्त न किया गया हो अथवा न्यूनोद्गृहीत या गलती से वापस किया गया हो या निर्धारित कोई शुल्क पूर्ण रूप से संदत्त

न किया गया हो, वहां समुचित अधिकारी, सुसंगत तारीख से छह मास के भीतर, ऐसे शुल्क से, प्रभार्य व्यक्ति पर जो शुल्क उद्गृहीत या संदत्त नहीं किया गया है या जो न्यूनोद्गृहीत किया गया है या पूर्ण रूप से संदत्त नहीं किया गया है, सूचना की तामील करके यह अपेक्षा कर सकता है कि वह इस बात का हेतुक दर्शाए कि उससे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम वसूल क्यों नहीं की जाए :

परन्तु यह कि—

- (क) जहां कोई शुल्क ऐसे व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा कपट, दुरभिसंधि या जानबूझकर मिथ्यान्वयन या तथ्यों के दबाने के कारण उद्गृहीत या संदत्त नहीं किया गया हो, या न्यूनोद्गृहीत किया गया हो या पूर्ण रूप से संदत्त नहीं किया गया हो, अथवा
- (ख) जहां कोई व्यक्ति या उसका अभिकर्ता शुल्क के सदाय से अपवचन के आशय से इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है, अथवा
- (ग) जहां कोई शुल्क ऐसे व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा दुरभिसंधि या जानबूझकर मिथ्यान्वयन या तथ्यों के दबाने के कारण गलती से वापस कर दिया गया है, वहां इस उपधारा के उपबन्ध, ऊपर निर्दिष्ट मामलों में से किसी में इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो “छह मास” शब्दों के स्थान पर “पाच वर्ष” शब्द रखे गए थे।

स्पष्टीकरण—जहां सूचना की तामील न्यायालय के आदेश से रोक दी जाती है वहां ऐसी रोक की अवधि छह मास, या पाच वर्ष की संगणना में से अपवर्जित कर दी जाएगी।

- (2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर, उस व्यक्ति के, जिस पर उप-नियम (1) के अधीन सूचना की तामील की गई है, व्यपदेशन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा देय शुल्क की रकम (जो सूचना में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगी) अवधारित करेगा तथा तदुपरि ऐसा व्यक्ति इस प्रकार अवधारित रकम का संदाय करेगा।
- (3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए—
 - (i) “वापसी” के अन्तर्गत नियम 12 और 12क में निर्दिष्ट रिबेट सम्मिलित है ;
 - (ii) “सुसंगत तारीख” से अभिप्रेत है—
 - (क) ऐसे उत्पाद-शुल्क माल की दशा में जिस पर शुल्क उद्गृहीत या संदत्त नहीं किया गया है, अथवा जिस पर शुल्क न्यूनोद्गृहीत किया गया है या पूर्ण रूप से संदत्त नहीं किया गया है, वह तारीख जिसको शुल्क का इन नियमों के अधीन संदत्त किया जाना अपेक्षित था;

(ख) ऐसे उत्पाद-शुल्क्य माल की दशा में जिस पर मूल्य या जिस पर शुल्क की दर इन नियमों के अधीन अन्तिम रूप से अवधारित की गई हो, वह तारीख जिसको मूल्य या शुल्क की दर के अन्तिम अवधारण के पश्चात् शुल्क समायोजित किया जाता है ;

(ग) ऐसे उत्पाद-शुल्क्य माल की दशा में जिस पर शुल्क गलती से वापस किया गया है, ऐसी वापसी की तारीख ।

11. शुल्क की वापसी का दावा .—

(1) किसी संदत्त शुल्क की वापसी का दावा करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे शुल्क की वापसी के लिए आवेदन, शुल्क के संदाय की तारीख से छह मास की समाप्ति के पूर्व केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर को कर सकता है :

परन्तु छह मास की उक्त परिसीमा, वहा लागू नहीं होगी जहा शुल्क अभ्यापत्ति करते हुए संदत्त किया गया हो ।

स्पष्टीकरण.—जहा इन नियमों के अधीन शुल्क मूल्य या शुल्क की दर के आधार पर अन्तरिम रूप से संदत्त किया गया हो, वहां छह मास की अवधि की संगणना उस तारीख से की जाएगी जिसको मूल्य या शुल्क की दर के अन्तिम अवधारण के पश्चात् शुल्क का समायोजन किया जाए ।

(2) ऐसे किसी आवेदन की प्राप्ति पर यदि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक द्वारा संदत्त समस्त शुल्क अथवा उसका कोई भाग उसे वापस किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार ऐसा आदेश कर सकता है ।

(3) जहा अधिनियम के अधीन अपील या पुनरीक्षण में पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को शुल्क का संदाय शोध्य हो जाता है तो समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को रकम उसके द्वारा या उसकी ओर से इस निमित्त कोई दावा किए बिना ही वापस कर सकता है ।

(4) इन नियमों द्वारा या उनके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी शुल्क की वापसी का कोई दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण.—इन नियमों के प्रयोजनों के लिए “वापसी” के अन्तर्गत नियम 12 और 12 क में निर्दिष्ट रिबेट सम्मिलित है ।”

5 नियम 173-अ के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा —

“173-अ न्यूनोद्ग्रहण की बसूली या अधिक उद्ग्रहण की वापसी के लिए नियत समय की परिसीमा.—निर्धारित की नियम 10 और 11 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे ।”

6. उक्त नियमों के नियम 173-तत के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि नियम 10 और 11 के उपबन्ध इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि, यथास्थिति, छह मास या पांच वर्षों की अवधि की गणना निर्धारिती द्वारा अपनाए गए लेखा वर्ष की समाप्ति से की जाएगी।”।

7. उक्त नियमों के नियम 173-द्व में से “मानो नियम 10 या नियम 11 में पद ‘तीन मास’ के स्थान पर ‘पद एक वर्ष’ रखा गया था” शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा।

[सं० 267/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क]

एस० के० भारद्वाज; अवर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा निर्यत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

